रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 22— सितम्बर 28, 2019, शनिवार/भाद्र 31—आश्विन 6, 1941
No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 22— SEPTEMBER 28, 2019, SATURDAY/BHADRA 31— ASVINA 6, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंडिंग अस्पताल तथा नर्सिंग होम (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** .—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** .— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	29* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

					टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) विज्ञान विषयों के साथ 10+2 एवं किसी मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा सहित एक वर्ष का संबंधित अनुभव। **वांछनीय:** किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से चिकित्सा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के

प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री। **टिप्पण-1**: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) जिन्होंने मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपए) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेंगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, - अध्यक्ष; 2. प्रयोगशाला विभाग के प्रमुख, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य; 4. डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए.11018/21/2018-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 288.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a). who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b). who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Medical Laboratory Technologist.	29* (2019) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for departmental candidates up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:-** The crucial

					date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) 10+2 with Science subjects and Diploma in Medical Laboratory Technology from any Government recognised institution with One year relevant experience. **Desirable:** Bachelor Degree in Medical Laboratory Science from any Government recognised institution or University. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the competent	Not applicable	Two years	Direct recruitment. **Note** : Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State government or Union territories- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the posts in level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :** 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Head of Laboratory Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi -Member; 3. Deputy Director in-charge of Medical Hospital division in Directorate General of Health Services , -Member; 4. Deputy Director Administration of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, -Member.	Not applicable.

[F. No. A. 11018/21/2018-MH- II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली,18 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 289.—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम,1981 को, जहां तक उनका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में भेषजज्ञ/डिस्पेंसरी भंडारी के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है,भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली,भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद),भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज्ञ	11 (ग्यारह)* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी, न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण । (2) भारतीय भेषजी परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से भेषजी में डिप्लोमा । (3) भेषजज्ञ अधिनियम, 1948 के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकृत । **टिप्पण-:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** 1. उप-प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष 2. भेषजगुणविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष - सदस्य 3. उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज - सदस्य 4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रशासन का कार्य देख रहे उपनिदेशक - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए.11018/19/2017-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 18th September, 2019

G.S.R. 289.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981,in so far as they relate to the post of Pharmacist/Dispensary Store-keeper, in the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group- 'C' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist	11(Eleven)* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial	level -5 in the pay matrix. (Rs. 29200-92300).	Not applicable	Between 18-25 years Relaxable for departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note:** The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of

					applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(1) 12th pass in Science Subject from a recognised Board or University. (2) Diploma in Pharmacy from an institute recognised by the Pharmacy Council of India. (3) Registered as Pharmacist under the Pharmacist Act, 1948. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made,	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :—** 1. Vice – Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital -Chairman; 2. Head of the Department of Pharmacology -Member; 3. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College -Member; 4. Deputy Director looking after administration of Lady Hardinge Medical College in Directorate General of Health Services. --Member.	Not applicable.

[F.No. A.11018/19/2017-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 290.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :—

श्री न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट (मूल उच्च न्यायालय : उत्तराखण्ड), उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 290.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Vijai Kumar Bist (PHC: Uttarkhand), Judge of the Uttarakhand High Court, who has been appointed as Chief Justice, Sikkim High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Sikkim High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 291.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति रमेश रन्गनाथन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 291.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Ramesh Ranganathan, Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana & Andhra Pradesh (erstwhile), who has been appointed as Chief Justice, Uttarakhand High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only)

per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice, Uttarakhand High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 292.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति अकिल अब्दुलहमीद कुरेशी (मूल उच्च न्यायालय : गुजरात), गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के.-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 292.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Akil Abdulhamid Kureshi (PHC: Gujarat), Judge of the Gujarat High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as a Judge of Bombay High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 293.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति इन्द्रजीत माहान्ती (मूल उच्च न्यायालय : उड़ीसा) उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 293.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Indrajit Mahanty (PHC: Orissa), Judge of the Orissa High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹22,500/-

(Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Bombay High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 294.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति राजीव शर्मा (मूल उच्च न्यायालय : हिमाचल प्रदेश) , उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 294.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Rajeev Sharma (PHC: Himachal Pradesh), Judge of the Uttarakhand High Court, who has been transferred to the Punjab & Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Punjab & Haryana High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 295.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह चौहान (मूल उच्च न्यायालय : राजस्थान), उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय(भूतपूर्व) में स्थानांतरित किया गया और बाद में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के रूप में नियुक्त किया गया, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय (भूतपूर्व) के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, क्रमशः 22.11.2018 से 22.06.2019 की अवधि के लिए प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाइस हजार पाँच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे और अपनी उस सेवा अवधि के लिए, जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, 22.06.2019 से प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 295.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Raghvendra Singh Chauhan (PHC: Rajasthan), Judge of the Karnataka High Court, who has been transferred to the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana & Andhra Pradesh (erstwhile) w.e.f. 22.11.2018; and later appointed as the Chief Justice of the Telangana High Court w.e.f. 22.06.2019, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period from 22.11.2018 to 22.06.2019; of his service when he performs his duties as Judge of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Andhra Pradesh and Telangana; and a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Telangana High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 296.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर (मूल उच्च न्यायालय : राजस्थान), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 296. —In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Govind Mathur (PHC: Rajasthan), Judge of the Allahabad High Court, who has been appointed as the Chief Justice of the Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as the Chief Justice of the Allahabad High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 297.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही (मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबाद), इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 297.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Amreshwar Pratap Sahi (PHC: Allahabad), Judge of the Allahabad High Court, who has been appointed as the Chief Justice of the Patna High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Patna High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 298.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति संजय करोल (मूल उच्च न्यायालय : हिमाचल प्रदेश), हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 298.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Sanjay Karol (PHC: Himachal Pradesh), Judge of the Himachal Pradesh High Court, who has been appointed as the Chief Justice, Tripura High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as the Chief Justice of the Tripura High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 299.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

डॉ. न्यायमूर्ति रवि रंजन (मूल उच्च न्यायालय : पटना), पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 299.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Dr. Justice Ravi Ranjan (PHC: Patna), Judge of the Patna High Court, who has been transferred to Punjab & Haryana High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Punjab & Haryana High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 300.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति आलोक आराधे (मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश), जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है,अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 300.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Alok Aradhe (PHC: Madhya Pradesh), Judge of the Jammu & Kashmir High Court, who has been transferred to Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Karnataka High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 301.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति राजेश बिन्दल (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 301.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Rajesh Bindal (PHC: Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been transferred to Jammu & Kashmir High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Jammu & Kashmir High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 302.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति विनीत कोठारी (मूल उच्च न्यायालय : राजस्थान), कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 302.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Vineet Kothari (PHC: Rajasthan), Judge of the Karnataka High Court, who has been transferred to Madras High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Madras High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 303.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल (मूल उच्च न्यायालय : मध्य प्रदेश), मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 303.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Pankaj Kumar Jaiswal (PHC: Madhya Pradesh), Judge of the Madhya Pradesh High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Allahabad High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 304.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति एम.वी. मुरलीदरन (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास), मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 304.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice M. V. Muralidaran (PHC: Madras), Judge of the Madras High Court, who has been transferred to Manipur High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Manipur High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 305.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भण्डारी (मूल उच्च न्यायालय: राजस्थान), राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 305.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Munishwar Nath Bhandari (PHC: Rajasthan), Judge of the Rajasthan High Court, who has been transferred to Allahabad High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Allahabad High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 306.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति सरस वेंकटनारायण भट्टी (मूल उच्च न्यायालय : आंध्र प्रदेश), आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 306.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Sarasa Venkatanarayana Bhatti (PHC: Andhra Pradesh), Judge of the Andhra Pradesh High Court, who has been transferred to Kerala High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Kerala High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 307.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति दामा शेशाद्रि नायुडु (मूल उच्च न्यायालय : आंध्र प्रदेश), केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 307.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Dama Seshadri Naidu (PHC: Andhra Pradesh), Judge of the Kerala High Court, who has been transferred to Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Judge of the Bombay High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 308.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति तोट्टलिल भास्करन नायर राधाकृष्णन (मूल उच्च न्यायालय : केरल), तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 308.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan (PHC: Kerala), Chief Justice of the Telangana High Court, who has been transferred to Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Calcutta High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 309.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति प्रदीप नन्द्राजोग (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली), राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें बम्बई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 309.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Pradeep Nandrajog (PHC: Delhi), Chief Justice, Rajasthan High Court, who has been transferred as Chief Justice to the Bombay High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Bombay High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 310—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओक (मूल उच्च न्यायालय :बम्बई), बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 310.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Abhay Shreeniwas Oka (PHC: Bombay), Judge of the Bombay High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Karnataka High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Karnataka High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 311.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति श्रीपती रवीन्द्रा भट्ट (मूल उच्च न्यायालय : दिल्ली), दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 311.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Shripathi Ravindra Bhat (PHC: Delhi), Judge of the Delhi High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Rajasthan High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Rajasthan High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 312—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति परप्पिल्लिल रामकृष्णन् नायर रामचन्द्रमेनोन् (मूल उच्च न्यायालय : केरल), केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 312.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Parappillil Ramakrishnan Nair Ramachandra Menon (PHC: Kerala), Judge of the Kerala High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 313.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

न्यायमूर्ति सुश्री घंडिकोट श्री देवी (मूल उच्च न्यायालय : इलाहाबाद), इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधीश, जिन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवा करती हैं, प्रतिमाह 22,500/- रुपए (केवल बाईस हजार पांच सौ रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगी ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 313.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Sushri Justice Ghandikota Sri Devi (PHC: Allahabad), Additional Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred as Additional Judge to Telangana High Court, shall be entitled to receive, in addition to her salary, a compensatory allowance of ₹22,500/- (Rs. Twenty Two Thousand Five Hundred only) per month, for the period of her service when she performs her duties as the Judge of Telangana High Court, outside of her Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 314—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति धीरुभाई नारणभाई पटेल (मूल उच्च न्यायालय :गुजरात), झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 314.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Dhirubhai Naranbhai Patel (PHC: Gujarat), Judge of Jharkhand High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Delhi High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Delhi High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 315.—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल (मूल उच्च न्यायालय : पंजाब और हरियाणा), पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त, अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 315.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice Ajay Kumar Mittal (PHC: Punjab & Haryana), Judge of the Punjab & Haryana High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Meghalaya High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹ 25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Meghalaya High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 316—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :

श्री न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमणियन (मूल उच्च न्यायालय : मद्रास), तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, अपने वेतन के अतिरिक्त अपनी उस सेवा अवधि के लिए जब वे अपने मूल उच्च न्यायालय के बाहर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हैं, प्रतिमाह 25,000/- रुपए (केवल पच्चीस हजार रुपए) का प्रतिकरात्मक भत्ता लेने के लिए पात्र होंगे ।

[सं. के-11017/11/2019-यू.एस.-I]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th September, 2019

G.S.R. 316.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely:

Shri Justice V. Ramasubramanian (PHC: Madras), Judge of the Telangana High Court, who has been appointed as the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of ₹25,000/- (Rs. Twenty Five Thousand only) per month, for the period of his service when he performs his duties as Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court, outside of his Parent High Court.

[No. K-11017/11/2019-U.S.-I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु, 17 सितम्बर, 2019

सा. का. नि. 317.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग तथा अंतरिक्ष विभाग (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के केंद्रों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2009 तथा 2018 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व, इन मामलों में किए गए या विलोपित कार्यों के अलावा, इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में इसरो के केंद्रों के नियंत्रक के पद की भर्ती प्रक्रिया तथा पदनाम को विनियमित करने हेतु राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. **लघु शीर्षक और आरंभ.—** इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग (इसरो केंद्रों के नियंत्रक) भर्ती नियम, 2019 कहा जाएगा।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि .—** उक्त पदों हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **अपात्रता.—**कोई भी ऐसा व्यक्ति, —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

अथवा,

(ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

किसी भी उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।

5. **छूट देने का अधिकार.—** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है तो वह, लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों से, इस संबंध में यथा समय केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित आदेशों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है
1	2	3	4	5
1. (क) मुख्य नियंत्रक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम (ख) नियंत्रक, एस.डी.एस.सी. शार, श्रीहरिकोटा (ग) नियंत्रक, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद (घ) नियंत्रक, इसरो उपग्रह केंद्र, बेंगलूरु (ङ) नियंत्रक, समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, बेंगलूरु (च) नियंत्रक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, हैदराबाद	6* (2019) * कार्य की मात्रा के आधार पर परिवर्तन की शर्त पर	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' (राजपत्रित)	**(क) से (ङ) तक के लिए**: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (6वें के.वे.आ. में पूर्व-संशोधित वेतन बैंड रु. 37400-67000/- में श्रेणी वेतन रु. 10000/-) **(च) के लिए**: वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (6वें के.वे.आ. में पूर्व-संशोधित वेतन बैंड रु. 37400-67000/- में श्रेणी वेतन रु. 8700/-)	योग्यता द्वारा चयन

क्या केंद्रीय कर्मचारी सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत स्वीकार्य सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ दिया जाए	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में जिस श्रेणी से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्त/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
12	13	14
(क) <u>प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा:</u> (i) (क) रु. 10,000 के श्रेणी वेतन के साथ वेतन बैंड-4 में पदों हेतु, अखिल भारतीय सेवा या सदृश पद धारण किए केंद्रीय सेवा समूह 'क' से उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन श्रेणी में सेवा, यदि कोई हो, सहित) में 8 वर्षों की नियमित सेवा या समूह 'क' पदों में 17 वर्षों की नियमित सेवा जिसमें से कम-से-कम 4 वर्षों की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में की हो। (i) (ख) यदि पद रु. 87,00/- के श्रेणी वेतन वाले वे.बै.-4 में प्रचालित हैं, तो अखिल भारतीय सेवा या सदृश पद धारण किए केंद्रीय सेवा समूह 'क' के उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' के पदों में नियमित आधार पर या 14 वर्षों की नियमित सेवा की हो। (ii) रु. 87,00/- के श्रेणी वेतन के साथ वे.बै.-4 के पदों हेतु, अखिल भारतीय सेवा या सदृश पद धारण किए केंद्रीय सेवा समूह 'क' के उपयुक्त अधिकारी जिन्होंने समूह 'क' के पदों में नियमित आधार पर या 14 वर्षों की नियमित सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यत: 5 वर्षों के अधिक नहीं होनी चाहिए) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को क्रमश: एस.ए.जी. स्तर एवं उसके ऊपर (अर्थात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 या ऊपर) के पदों हेतु 58 वर्ष और एस.ए.जी. स्तर (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 से नीचे) के नीचे के पदों हेतु 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। **(ख) <u>स्थानांतरण द्वारा</u>:** (i) रु. 10,000/- के श्रेणी वेतन के साथ वे.बैं. 4 में पदों हेतु, दो वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के साथ 'एस.जी.' (वे.बै. 4 + रु. 8900/- का	**समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल हैं:** (1) सचिव, — अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग (2) वैज्ञानिक सचिव — सदस्य अंतरिक्ष विभाग (3) कार्मिक एवं प्रशिक्षण — सदस्य विभाग का नामित प्रतिनिधि (4) स्तर 15 में अं.वि./इसरो — सदस्य के किसी केंद्र के निदेशक	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने से छूट प्राप्त है।

श्रेणी वेतन) की श्रेणी में अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक/अभियंता। (ii) रु. 87,00/- के श्रेणी वेतन के साथ वे.बैं. 4 में पदों हेतु, दो वर्षों के प्रशासनिक अनुभव के साथ 'एस.एफ.' (वे.बै. 3 + रु. 7600/- का श्रेणी वेतन) की श्रेणी में अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक/अभियंता। **(ग) <u>पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा:</u>** (i) रु. 87,00/- के श्रेणी वेतन के साथ वे.बैं. 4 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन; वरिष्ठ प्रधान, क्रय एवं भंडार; वरिष्ठ प्रधान, लेखा एवं आंतरिक वित्त सलाहकार और अंतरिक्ष विभाग के वरिष्ठ प्रधान, आंतरिक लेखापरीक्षा और (ii) रु. 7600/- के श्रेणी वेतन के साथ वे.बैं.-3 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रधान, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन; प्रधान, क्रय एवं भंडार, प्रधान; लेखा एवं आंतरिक वित्त सलाहकार एवं अंतरिक्ष विभाग के उप सचिव, जिन्होंने वे.बै.-3 में रु. 7600/- के श्रेणी वेतन और वे.बैं.-4 में रु. 8700/- के श्रेणी वेतन के साथ 2 वर्षों की संयुक्त सेवा और समूह 'क' में कम-से-कम 14 वर्षों की सेवा की हो। पदोन्नति/नियुक्ति तब ही लागू होगी, जब पद वे.बै.-4 + रु. 8700/- के श्रेणी वेतन के स्तर पर प्रचालित हो।		

[सं. ए.12012/2/2003-I (खंड II)]

एम. रामदास, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bengaluru, the 17th September, 2019

G.S.R. 317.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Space (Controllers of Indian Space Research Organisation Centres) Recruitment Rules, 2009 and 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Controller of ISRO Centres in the Department of Space, namely :—

1. **Short title and commencement**.—These rules may be called the Department of Space (Controllers of ISRO Centres) Recruitment Rules, 2019.

2. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix**.—The number of the said posts, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—**No person, -**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
(a)Chief Controller, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram (b) Controller, SDSC-SHAR, Sriharikota (c) Controller, Space Applications Centre, Ahmedabad (d) Controller, ISRO Satellite Centre, Bengaluru (e) Controller, Human Space Flight Centre, Bengaluru (f) Controller, National Remote Sensing Centre, Hyderabad	6*(2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	**For (a) to (e) :** Level 14 in the Pay Matrix (6th CPC Pre-revised Pay Band Rs.37400-67000 with Grade Pay Rs.10000/-) **For (f) :** Level 13 in the Pay Matrix (6th CPC Pre-revised Pay Band Rs.37400-67000 with Grade Pay Rs.8700/-)	Selection by Merit

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
9	10	11
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer of promotion.

In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
(a) By Deputation/bsorption : (i) (a) For posts in PB-4 with a Grade Pay of Rs.10000/-, suitable officers from All India Services or Central Services Group 'A' holding analogous	**Group 'A' Departmental Promotion Committee :** (1) Secretary, Department of Space - Chairman	Department of Space is exempt from consultation with the Union Public Service Commission.

posts on regular basis of 8 years service in the Junior Administrative Grade (including services, if any, in the non-functional selection grade) or 17 years regular service in Group 'A' posts out of which atleast 4 years regular service should be in Junior Administrative Grade. (i) (b) In case the posts are operated in PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/-, suitable officers from All India Services or Central Services Group 'A' holding analogous posts on regular basis or 14 years regular service in Group 'A' posts. (ii) For posts in the PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/- suitable officers from All India Services or Central Services Group 'A' holding analogous posts on regular basis or 14 years regular service in Group 'A' posts. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 5 years). The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 58 years for the posts in the SAG level and above (i.e. Level-14 of the Pay Matrix and above) and 56 years for the posts below the SAG level (below Level-14 of the Pay Matrix) respectively, as on the closing date of receipt of applications. **(b) <u>By Transfer :</u>** (i) For posts in PB-4 with a Grade Pay of Rs.10000/-, Scientists/Engineers in the Department of Space/Indian Space Research Organization in the Grade of 'SG' (PB-4 + Grade Pay of Rs.8900/-) or above with 2 years Administrative experience. (ii) For posts in PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/-, Scientists/Engineers in the Department of Space/Indian	(2) Scientific Secretary, Department of Space - Member (3) Nominee of Department of Personnel and Training - Member (4) One of the Centre Directors of DOS/ISRO in Level-15 - Member	

Space Research Organization in the Grade of 'SF' (PB-3 + Grade Pay of Rs.7600/-) or above with 2 years Administrative experience. **(c) <u>By Promotion/ Appointment :</u>** (i) From amongst Senior Heads, Personnel and General Administration; Senior Heads, Purchase & Stores; Senior Heads, Accounts and Internal Financial Adviser in Indian Space Research Organization and Senior Head, Internal Audit in Department of Space in PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/-; and (ii) Heads, Personnel and General Administration; Heads, Purchase & Stores; and Heads, Accounts & Internal Financial Adviser in Indian Space Research Organization and Deputy Secretary in Department of Space in PB-3 with a Grade Pay of Rs.7600/- with a combined service of 2 years in PB-3 with a Grade Pay of Rs.7600 and PB-4 with a Grade Pay of Rs.8700/- and with a minimum of 14 years service in Group 'A'. Promotion / Appointment is applicable only when the posts is operated at the level of PB-4 + Grade Pay of Rs.8700/-.		

[No. A. 12012/2/2003-I (Vol.II)]

M. RAMADAS, Dy. Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 318.—राष्ट्रपति संविधान के अनुछेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, बहु कार्यकर्मचारी वृंद, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2018 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, बहु कार्यकर्मचारी वृंद, समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **जल शक्ति मंत्रालय**, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, बहु कार्यकर्मचारी वृंद, समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 की अनुसूची में, स्तम्भ (6) में, शब्द और अंक "18 और 27 के बीच" के स्थान पर शब्द और अंक "18 और 25 वर्ष" रखे जायेंगे ।

[फा. सं. 12018/35/2017- ई-II]

शान्तनु रक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17, तारीख 9 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किये गए ।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 20th September, 2019

G.S.R. 318.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018, in the schedule, in column (6), for the words and figures "Between 18 and 27 years", the words and figures "Between 18 and 25 years" shall be substituted.

[F. No. 12018/35/2017-E-II]

SANTANU RAKSHIT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13th January, 2018 *vide* notification number G.S.R. 17, dated the 9th January, 2018 .

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 319.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, में राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर -10 (रू 56100-177500)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के लिये दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (रु.53100-167800) या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100) या इसके समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो:- आवश्यक: (i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1.निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष 2.सम्बन्धित संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 3.सम्बन्धित निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।	भर्ती करने के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न विषय से मास्टर डिग्री जिसमें परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो और अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न विषय से मास्टर डिग्री जिसमें परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो और हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न विषय से मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई भी एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा विषय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और **अनुभवः** (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिन्दी में शब्दावली (शाब्दिक कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य सम्बन्धी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।		

या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा, जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में हो, से 10वीं स्तर में पढ़ा हो। **टिप्पण 1**: विभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में इस श्रेणी में 8 वर्षो की नियमित सेवा की हो और जो शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित अनुभव को विचार में लिया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति करते समय विभागीय अभ्यर्थी नियुक्त होता है तब इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. एस एम/01/15/2018]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 23rd September, 2019

G.S.R. 319.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules

regulating the method of recruitment to the said post of Assistant Director (Official Language) in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/Non Selection post	Age limits for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two years for promotees	Deputation/Promotion.

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation /Promotion: **Deputation:** Officers from the Central Government/State Governments/Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay-matrix or Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix; or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7(Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service In the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Masters degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisatio - Chairman (2) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.

the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and **Experience**: (i) Three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or 'Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or universities or recognised research or educational institutions. **Desirable Qualification:** Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule to the Constitution at 10th level of a recognised Board. **Note 1**: The departmental Junior Translator in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with eight years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

[F. No. SM/01/15/2018]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.15 10:32:35 +05'30'